न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 08 / 2023
दायर दिनांक : 06 / 04 / 2023
निर्णय दिनांक : 14 / 02 / 2024

उनवान

1. मानु पुत्र उदेराम गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
2. रामचन्द्र पुत्र भैरूलाल गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
3. हजारी पुत्र सवाईराम गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरालाल पिता गोकल गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
2. लक्ष्मण पिता देवजी गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
3. नारायण पिता उदा गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
4. रामचन्द्र पिता सोयराम गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
5. चम्पा पिता किशना गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
6. भगवानलाल पिता रूपा गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
7. जमनालाल पिता कालू गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
8. पुष्पा पुत्री कालू गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नही आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एव पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500 रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **ग्राम बबराना तहसील भूपालसागर की खाता सं. 222 में आ.सं. 101 रकबा 1.75 है., आ.सं. 103 रकबा 0.91 है., आ.सं. 104 रकबा 0.23 है., आ.सं. 105 रकबा 0.01 है., आ.सं. 106 रकबा 0.43 है. आ.सं. 108 रकबा 0.05 है.** भूमि मे उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व मे सीमाकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस [illegible] यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन नही हो। इस आश[illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.04.03 15:24:02 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गलडा)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर